सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 23, बुधवार, शाके 1943–जुलाई 14, 2021 *Asadha 23, Wednesday, Saka 1943- July 14, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 12, 2021

एस.ओ.571 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(2)वित्त/कर/2018-38 दिनांक 02.07.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं.एफ.4(2)वित्त/कर/2018-38]
राज्यपाल के आदेश से,
टीना डाबी,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक जुलाई 02, 2021

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2021-277 दिनांक 24.02.2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में फ्लैट या आवासीय इकाई, जिसका बाजार मूल्य पचास लाख रूपये से अधिक नहीं है, से संबंधित हस्तान्तरण विलेख, यदि ऐसा हस्तान्तरण विलेख 30.09.2021 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और चार प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

यह अधिसूचना 01.07.2021 से प्रभावी होगी।

[सं.एफ.4(2)वित्त/कर/2018-38]
राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,
संयुक्त शासन सचिव"।

Government Central Press, Jaipur.